सिविल प्रकरण संख्या 22/15 तारीख रजू 25/08/15

राजस्थान सरकार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी,सवाईमाधोपुर। –आवेदक

बनाम

1. शम्भू साहू पुत्र श्री तुलसीराम साहू खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स शम्भू दयाल किराना स्टोर आलनपुर सवाई माधोपुर, निवासी वार्ड नं0 30 कुम्हारो का मौहल्ला आलनपुर सवाई माधोपुर
2. किशनचन्द केसवानी पुत्र होतचन्द केसवानी पार्टनर हेप्पी बेवरेज प्लाट नं0 5 बालनगर गोनेर रोड जयपुर निवासी प्लाट नं0 5 बालनगर गोनेर रोड जयपुर ।
3. दीपा मान सिंघानी पत्नी प्रदीप मानसिंघानी पार्टनर मैसर्स हेप्पी बेवरेज प्लाट नं0 5 बालनगर गोनेर रोड जयपुर निवासी 770, सिन्धी कॉलोनी राजापार्क जयपुर।

–अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11)

::निर्णय:: दिनांक:– 11.1.19

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश कुमार रामचन्दानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 26/05/2014 को 02:15 पी.एम. पर दौराने गश्त जिला सवाईमाधोपुर में मैसर्स शम्भू दयाल किराना स्टोर आलनपुर सवाईमाधोपुर पर पंहुचा। वहा पर श्री शम्भू साहू पुत्र श्री तुलसीराम साहू विक्रेता की हैसियत से उपस्थित थे कि उपस्थिति में निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड बाटर (जोश अप) 300 मि.ली. बॉटल में 100 बॉटल विक्रय हेतु रखा हुआ था। आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय से लिया, विक्रेता ने मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया, जिसमें विक्रेता ही मालिक होना पाया गया तत्पश्चात विक्रय हेतु रखे खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर (जोश अप) पर मिसब्राण्ड एवं मिलावटी होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म 5 ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर खाद्य करोबार कर्त्ता को गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहां। जिसे खाद्य करोबार कर्त्ता ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं नमूने की सभी औपचारिकता पूर्ण कर उक्त नमूना सील्ड लिफाफे में खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2014/1229 दिनांक 22/07/2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/924/2014/एक्ट/512 दिनांक 14/07/14 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड बाटर (जोश अप) 300 मि.ली. पैक बॉटल मिसब्राण्ड प्रकृति का पाया गया। अभियुक्त ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड बाटर (जोश अप) 300 मि.ली. बॉटल का विक्रय व निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(11) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित हुआ। अभियोजन अधिकारी एव अभियुक्त को सुना गया।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड बाटर (जोश अप) 300 मि.ली. बॉटल का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) (11) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया है कि उक्त खाद्य पदार्थ मेरी फर्म से वास्ते नमूना लिया गया था जों जांच परिणाम में मिसब्राण्ड पाया गया। पत्रावली में आवेदक की और से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा अभियुक्त को अपील करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। साथ

13/P

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम पाया गया कि पत्रावली में संलग्न अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्रांक 1229 दिनांक 22/07/14 की प्रति संलग्न है। जिस पर अभियुक्त को जांच रिपोर्ट की सूचना रजिस्टर्ड डाक प्रेषित की रसीद संलग्न है, जिससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्त को उक्त जांच रिपोर्ट की अपील करने हेतु समय दिया गया है।

उक्तांकित विवेचन के आधार पर अभियुक्त खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011 की धारा 26 (2) (11) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित हैं तथा चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध प्रथम बार किया जाना पाया जाता है।

अतः अभियुक्त सं0 1 को मिसब्राण्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर (जोश अप) 300 मि.ली. बॉटल का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) (11) का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के अन्तर्गत 10,000 रूपये (दस हजार रूपये) तथा अभियुक्तग सं0 2 व 3 को मिसब्राण्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर (जोश अप) 300 मि.ली. बॉटल का विक्रय व निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) (11) का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के अन्तर्गत पृथक–पृथक रूप से 20,000–20,000 (बीस–बीस हजार) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि को तीस दिवस की अवधि के भीतर –भीतर न्याय निर्णय अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाईमाधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी के जमा करवावे। अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी।आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिए पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11-10-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवम
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सवाईमाधोपुर